संख्या-183/2021/909/41-2021-10 (सा0)/2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 03 मार्च, 2021**

विषय:-अयोध्या में क्वीन-हो मेमोरियल पार्क परियोजना हेतु आवश्यक नजूल भूमि (11658 वर्ग मीटर) पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-5688/एसएस/क्वीन-हो(4)/52 दिनांक 28 जनवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अयोध्या में क्वीन-हो मेमोरियल पार्क परियोजना हेतु आवश्यक नजूल भूमि (11658 वर्ग मीटर) पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. अवगत कराना है कि मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी के रूप में अयोध्या अनन्तकाल से ही विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर वर्ष-पर्यन्त लाखों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। ऐसा मानते हैं कि सन् 48 ई0 में अयोध्या की तत्कालीन राजकुमारी द्वारा जलमार्ग से अयोध्या से कोरिया की यात्रा की गई थी, जहाँ उनका विवाह वहाँ के स्थानीय राजा किम सूरो के साथ हुआ और राजकुमारी का नाम हू-वांग-आक पड़ा। राजकुमारी हू-वांग-आक एवं राजा किम सूरो से करक वंश की स्थापना हुई। वर्तमान समय में कोरिया के अन्दर उक्त वंश के लगभग 70 लाख लोग हैं, जो अपना पैतृक उद्गम इसी वंश से मानते हैं और अयोध्या को भारत एवं कोरिया के मध्य प्राचीन सांस्कृतिक सम्बन्धों की एक कड़ी के रूप में समादृत करते हैं।

3. भारत और कोरिया के मध्य सांस्कृतिक सम्बन्धों को मजबूत करने के उद्देश्य से अयोध्या में क्वीन-हो मेमोरियल का निर्माण वर्ष 2001 में किया गया था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनाँक 18 मई, 2015 को दक्षिण कोरिया भ्रमण के दौरान अयोध्या और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कोरिया के मध्य सांस्कृतिक सम्बन्धों को और प्रगाढ़ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गई थी। इसी संदर्भ में वर्तमान क्वीन-हो मेमोरियल (जिसका निर्माण वर्ष 2001 में किया गया था) के सन्निकट जिलाधिकारी, अयोध्या के द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु नजूल भूमि गाटा संख्या-742मि0 क्षेत्रफल 11658 वर्ग मीटर का भू-खण्ड प्रस्तावित किया गया, जो कि वर्ष-2001 में निर्मित क्वीन-हो मेमोरियल के बिल्कुल सटे हुए स्थित है। अयोध्या दीपोत्सव-2018 के अवसर पर दक्षिण कोरिया की मा0 प्रथम महिला सुश्री किम जुंग-सूक महोदया का कार्यक्रम अयोध्या में दिनाँक 06-11-2018 को सुनिश्चित हुआ था, जिसके दृष्टिगत मा0 मुख्यमंत्री जी के द्वारा उक्त अवसर पर क्वीन-हो मेमोरियल परियोजना का उनके साथ संयुक्त शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। अतः इस योजना के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व एवं समय की अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुये जिलाधिकारी, अयोध्या के द्वारा पुराने एवं निष्प्रयोज्य बस अड्डे वाली नजूल की भूमि पर इस योजना का प्रस्ताव किया गया और तद्नुसार शिलान्यास का कार्यक्रम भी उक्त दिवस को सम्पन्न कराया गया। इस भूमि पर वर्तमान में परियोजना निर्माण का कार्य चल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-186/2018/ 3548/41-2018-110(बजट)/2018 दिनाँक 05-11-2018 के माध्यम से परियोजना की लागत रू0 21.92 करोड़ स्वीकृत की गई है। बाउन्ड्रीवाल, किंग्स पैवेलियन, क्वीन्स पैवेलियन, मेडीटेशन हॉल, टॉयलेट ब्लाक एवं ओपेन एयर थियेटर व फुट ओवर ब्रिज का कार्य कार्य लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। इस योजना से जहाँ भारत एवं कोरिया के मध्य सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रगाढ़ होंगे, वहीं पर्यटन गतिविधियों के साथ-साथ रोजगार के अवसर को भी बढ़ावा मिलेगा।

4. जिलाधिकारी, अयोध्या के द्वारा उपरोक्त परियोजना हेतु अयोध्या में मोहल्ला नयाघाट, चक संख्या-1 में स्थित नजूल भूमि गाटा संख्या-742मि0 क्षेत्रफल 11658 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराया गया था, जिसमें वर्तमान में परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी, अयोध्या के द्वारा उक्त नजूल भूमि का मूल्यांकन कुल रू0 21,33,41,400-00 (रू0 इक्कीस करोड़, तैतीस लाख, इकतालीस हजार, चार सौ मात्र) कराकर अपने पत्र संख्या-310 दिनाँक 25-05-2019 के माध्यम से उक्त नजूल भूमि पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। उक्त प्रेषित प्रस्ताव के सम्बन्ध में आवास एवं शहरी नियोजनए अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनाँक 11-06-2019 के माध्यम से कतिपय बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी, जिसका उत्तर जिलाधिकारी, अयोध्या के द्वारा अपने पत्र दिनाँक 19-08-2019 के माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन को प्रेषित करते हुये शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध किया गया है। विवरण के अनुरूप प्रश्नगत कार्यस्थल पर इंगित नजूल भूमि

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कुल क्षेत्रफल 11658 वर्ग मीटर का निःशुल्क हस्तान्तरण पर्यटन विभाग के पक्ष में किया जाना है।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या में क्वीन-हो मेमोरियल पार्क परियोजना हेतु आवश्यक नजूल भूमि (11658 वर्ग मीटर) पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

(क) अयोध्या में उपलब्ध नजूल भूमि (क्षेत्रफल 11658 वर्ग मीटर-मोहल्ला नयाघाट, चक संख्या-1, नजूल भूमि गाटा संख्या-742मि0, अयोध्या) को पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किया जाएगा।

(ख) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या-183/2021/909(1)/41-2021-10 (सा0)/2021 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
वित्त विभाग/न्याय विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/परिवहन विभाग/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
7- जिलाधिकारी, अयोध्या।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, अयोध्या।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।